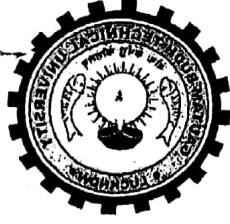


यू0एस0 तोमर
कुलसचिव



गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय

(पूर्ववर्ती उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय)
इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी परिसर
सीतापुर रोड, लखनऊ-226021
फोन: 2732193, फैक्स: 273218
पत्रांक: गौ0बु0प्रा0वि0/कुस0का0/2011/58347- S1
दिनांक: 19 फरवरी, 2011

सेवा में

निदेशक,
चन्द्रशेखर सिंह कालेज आफ फार्मेसी,
कौशाम्बी।

विषय: संस्था को शैक्षिक सत्र 2010-11 हेतु सम्बद्धता के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने की अपेक्षा है कि शासन के पत्र संख्या 2159/सोलह-1-2010-13/(13)/2010 दिनांक 11 अगस्त, 2010 के द्वारा उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अधीन शासन की पूर्वानुमति से कार्यपरिषद द्वारा अपनी बैठक दिनांक 2 नवम्बर, 2010 में चन्द्रशेखर सिंह कालेज आफ फार्मेसी, कौशाम्बी को बी.फार्मा पाठ्यक्रम 60 सीट की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2010-11 हेतु दिनांक 1.7.10 से सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

1. संस्था व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन, गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश/शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये दिश-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित नियमानुसार अनुमन्य फीस ही प्रवेशित छात्रों से लेगी तथा शिक्षण-प्रशिक्षण से सम्बन्धित शासन/विश्वविद्यालय द्वारा वांछित सूचना समय से उपलब्ध करायेगी अन्यथा सम्बद्धता संबंधी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
2. संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा दर्शायी गयी सूचनाओं/विवरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि शासन/विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
3. संस्था से एक माह के अन्दर संस्था में कार्यरत शिक्षकों की अनुमोदित सूची विश्वविद्यालय को प्रस्तुत की जायेगी ताकि इसे निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश शासन को प्रस्तुत किया जा सके।
4. संस्था द्वारा छात्रों से ली गई फीस की सूचना एक पक्ष के अन्दर अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करते हुए इसकी सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी अन्यथा संस्था के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।
5. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अनुमोदन प्राप्त न होने अथवा समाप्त होने की दशा में सम्बद्धता का यह अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
6. संस्था में पायी गयी कमियों का पूर्ण रूपेण निराकरण हो जाने के पश्चात ही प्राविधिक विश्वविद्यालय से आगामी वर्ष अर्थात् 2011-12 की सम्बद्धता विस्तारण की संस्तुति की जा सकेगी और तभी संस्था को प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा सकेगा।
7. संस्था का शैक्षिक वर्ष के अन्तर्गत किसी भी समय आकस्मिक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकेगा। उक्त आकस्मिक निरीक्षण में निर्धारित मानकों के सापेक्ष कोई कमियाँ नहीं है, संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

8. बी.फार्मा पाठ्यक्रम संचालित संस्थाएं नियमतः फार्मसी कौंसिलिंग फार इण्डिया से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करेगी।
9. जिन संस्थाओं की अभातरशिप एवं विश्वविद्यालय के मानकों के संबंध में शासन अथवा विश्वविद्यालय स्तर से कोई निरीक्षण अथवा जाँच की जाती है अथवा कोई नोटिस जारी की जाती है तो संबंधित संस्थाओं की सम्बद्धता तद् कार्यवाही के अधीन होगी।
10. संस्था द्वारा प्रवेश में उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2006 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
उपयुक्त शर्तों के अनुपालन में विचलन अथवा संस्था के आकस्मिक निरीक्षण में किसी प्रकार की कमियाँ पायी जाने की स्थिति में संस्थाकी सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

(यु० प्रमोद कुमार)

कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक: उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

11. प्रमुख सचिव, महामहिम कुलाधिपति/श्री राज्यपाल महोदय, राजभवन, लखनऊ।
12. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
13. अध्यक्ष अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
14. सम्बन्धित संस्था की पत्रावली।

(यु० प्रमोद कुमार)

कुलसचिव